न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 144 / 2013

1 चन्दनमल पुत्र मालीराम।
2 रवि शंकर पुत्र मालीराम।
3 गोकुल देवी पुत्री मालीराम।
4 सुमन देवी पुत्री मालीराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण करड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गजानन्द पुत्र हीरालाल।
2 रामेश्वर पुत्र नारायणलाल।
3 नाथूराम पुत्र गोपीराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण करड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2013
अदालत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ बउनवानी
मालीराम आदि बनाम गजानन्द आदि दावा संख्या
234 / 2007 अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेव राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विधाधर सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 17.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 234/2007 में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलकर्ता के पिता मालीराम ने अदालत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के समक्ष दावा उनवानी मालीराम बनाम गजानन्द आदि दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती रिकर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया कि वादी मालीराम व रेस्पोडेंट प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1122 रकबा 1.00 हैक्टेयर, ,खसरा नम्बर 1123 रकबा 3.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1131 रकबा 1.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1133 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1155 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1156 रकबा 1.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1157 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1158 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1159 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1161 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1162 रकबा 1.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1160 रकबा 0.87 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 13.78 हैक्टेयर, तन करड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में अपीलकर्तागण के पिता मालीराम हिस्सा 1/2 की भूमि पर काबिज काश्तकार रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/3 तथा शेष हिस्सा 1/4 पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रतिवादी संख्या 3 काबिज काश्तकार है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी मालीराम के हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/3 की भूमि रेस्पोडेंट प्रतिवादी संख्या 02 रामेश्वर पुत्र नारायण नाम से गलत अंकन हो गया है इस नाम का व्यक्ति गांव करड़ में नहीं है अैर गत 50 साल से उपरोक्त कृषि भूमियों के हिस्सा 1/2 पर अपीलकर्तागण के पिता मालीराम काबिज काश्त करता रहा है। उपरोक्त कृषि भूमियों पर रेस्पोडेंट प्रतिवादी रामेश्वर पुत्र नारायण नाम के व्यक्ति का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में इस नाम का अंकन बिल्कुल गलत व सहवन से दर्ज किया हुआ है अपीलकर्ता के पिता मालीराम ने कभी रामेश्वर पुत्र नारायण नाम के व्यक्ति को अपने भूमि को जोतने पर काश्त करने हेतु नहीं दी थी तथा इस नाम का व्यक्ति किसी भी समय ग्राम करड़ में नहीं रहा है। अपीलकर्ता के पिता मालीराम ने वादग्रस्त कृषि भूमियों के हिस्सा 1/2 के खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा व रेस्पोडेंट प्रतिवादी रामेश्वर पुत्र नारायण का नाम हजफ कर रिकर्ड दुरूस्ती की इस्तदुआ की है। दौराने दावा मालीराम का स्वर्गवास होने पर उसके वारिसान अपीलकर्तागण, पत्नी सुशीला व पुत्रीयां रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 को रिकार्ड पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्व बावजूद तामील होने पर इकतरफा कार्यवाही की गई है। बाद तहकीकात व अपीलकर्तागण की साक्ष्य पेश करने के बाद अदालत मातहत ने दावा को खारिज करने की डिक्री व निर्णय दिनांक 10.06.2013 को पारित की है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट गोहाटी में मजदूरी करते है अत विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही हुई है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील अन्दर मियाद शूमार की जावें। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायांलय की पत्रावली में जमाबंदी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर

सवंत 2051 प्रदर्श 01 खसरा गिरदावरी संवत 2014 से 2017 प्रदर्श 02 खसरा गिरदावरी संवत 2018 से 2019 प्रदर्श 03 खसरा गिरदावरी संवत 2012 प्रदर्श 04 संलग्न है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में इन सभी दस्तावेजी साक्ष्य का कोई विवेचन नही किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का भी कोई विवेचन नही किया गया है। केवल सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर वाद वादी खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में जमाबंदी सवंत 2051 प्रदर्श 01 खसरा गिरदावरी संवत 2014 से 2017 प्रदर्श 02 खसरा गिरदावरी संवत 2018 से 2019 प्रदर्श 03 खसरा गिरदावरी संवत 2012 प्रदर्श 04 संलग्न है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में इन सभी दस्तावेजी साक्ष्य का कोई विवेचन नही किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का भी कोई विवेचन नही किया गया है। केवल सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर वाद वादी खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में गुणवगुण पर पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *